न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—166/2017/76 (2017/00166)

1. खीमसिंह पुत्र नारायणसिंह, जाति रावत, निवासी शम्भूपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंट**

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 5.7.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 12/2017.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 13.9.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 5.7.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शम्भूपुरा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नंबर 1286/1 रकबा 3—16—10 किस्म दांती सिवायचक भूमि में से रकबा 00—5—00 बीघा पर पक्का कमरा व चारदीवारी कर अतिचार किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा एल0आर0एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया । नोटिस के प्रस्तुत जवाब में अपीलांट द्वारा कब्जा स्वीकार किया गया । तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 17.10.2016 को अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना कायम करने का निर्णय पारित किया गया । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में पेश की गई जो जिसे विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 5.7.2017 द्वारा खारिज करने के आदेश पारित किये। विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस करते हुए बहस में कथन किया कि तहसीलदार, ब्यावर के समक्ष स्वंय अपीलांट उपस्थित हुआ था एवं स्वंय द्वारा ही जवाब प्रस्तुत किया गया था अर्थात् अभिभााक नियुक्त नहीं किया गया था ।

ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय पारित करने पर उसकी सूचना अपीलांट को दी जाकर किस न्यायालय के समक्ष अपील संधारण योग्य होगी बाबत् भी सूचना दिया जाना आदेश 5 जा0दी0 के तहत न्यायोचित था लेकिन तहसीलदार द्वारा आदेश 5 जा0दी0 की कोई पालना नहीं की गई जिससे तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है ं तहसीलदार द्वारा जरिये आदेश दिनांक 8.10.2016 को वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जो हल्का पटवारी ब्यावर खास एवं सरपंच ग्राम पंचायत, ब्यावर खास द्वारा दिनांक 21.10.2016 को प्रेषित की गई लेकिन उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही दिनांक 17.10.2016 को ही आदेश अंतर्गत अपील पारित कर दिया जिससे अपीलांट को पूर्ण न्याय प्राप्त नहीं हो सकता न ही उक्त मौका रिपोर्ट बाबत् सुनवाई हो सकी जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय प्रथमदृष्टया काबिल निरस्त योग्य है । उक्त कानूनी बिन्दू बाबत् विद्वान जिला कलक्टर के समक्ष निवेदन किया था लेकिन उनके द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.9.2016 के अनुसार भी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पक्की चारदीवारी कर पक्का कमरा निर्मित किया जाना सिद्ध है जो पुराना होकर आबादी से लगता हुआ होना भी अंकित गया है । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश जिसके तहत ग्राम की आबादी से 200 मीटर की परिधि में आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टा जारी करने बाबत् ग्राम पंचायत को आदेशित किया गया है के अनुसार अपीलांट को आबादी भूमि हेतु नियमित की जाना न्यायोचित थी। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 1286/1 का कुल रकबा 3–16–10 बीघा किस्म दांती है जिसमें से 5 बिस्वा भूमि पर अपीलांअ का अतिक्रमण बताया गया है जबकि अपीलांट विगत 35–40 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है एवं काफी धन एवं श्रम व्यय कर रहवास हेतु पक्की चारदीवारी एवं पक्के कमरे निर्मित करवा कर उसमें विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सपरिवार निवास करता आ रहा है एवं मवेशी, कृषि उपकरण, चारा तथा रोडी इत्यादि यहीं पर रखता है । ग्राम शम्भूपुरा की आबादी में अपीलांट के पास रहवास हेतु अन्य कोई मकान नहीं है अर्थात् निवास करने हेतु यही एकमात्र स्थान है, जो विद्वान जिला कलक्टर, अजममेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2012 के अनुसार भी ग्राम शम्भूपुरा की आबादी भूमि खसरा नंबर 1308 के दक्षिण दिशा में अवस्थित अंतिम छोर से 200 मीटर नाप करने पर प्रस्तावित आबादी के मध्य अवस्थित है जिसकी पुष्टि पटवापरी हल्का की रिपोर्ट से भी होती है । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु का रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किये बिना अपीलांट को वादग्रस्त भूमि एवं निवास स्थान से महरूम करने के इरादे से आदेश अंतर्गत अपील पारित किये गये है जो निरस्तनीय है । तहसीलदार, ब्यावर ने अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है । ग्राम पंचायत द्वारा हाल ही में विद्वान जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2012 के अनुसार आबादी के अंतिम छोर से 200 मीटर की परिधि में 2 बीघा भूमि के अतिरिक्त शेष 3–15–00 बीघा भूमि भी आती है जिस हेतु प्रस्ताव पारित कर 200 मीटर की परिधि में अवस्थित आबादी भूमि मे ंदर्शाने हेतु अनुमोदन प्रेषित कर दिया गया है जो विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा निर्मित मकान ग्राम की आबादी के अंतिम छोर से 200

मीटर परिधि के भीतर आता है । ऐसी स्थिति में उक्त मकान बाबत् ग्रां पंचायत को पट्टा जारी करने हेतु आदेश पारित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 एवं विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.7.2017 निरस्त किये जावे तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2012 की पालना में ग्राम शम्भूपुरा की आबादी भूमि खसरा नंबर 1308 के दक्षिण दिशा में अवस्थित अंतिम छोर जो मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2016 में अंकित किया गया है से 200 मीटर नाप करवाया जाकर खसरा नंबर 1286 की कुल भूमि रकबा 5–16–10 बीघा में से 3–15–00 बीघा भूमि आबादी घोषित फरमा कर ग्राम पंचायत को अपीलांट के हक में वादग्रस्त आराजियात का आवासीय पट्टा जारी करने का आदेश प्रदान करावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात सिवायचक होकर उस पर अपीलांट द्वारा निर्माण कर अतिचार किये जाने से तहसीलदार, ब्यावर द्वारा विधिसम्मत् रूप से एल0आर0एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत् है । तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने अपील के तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । ग्राम शम्भुपुरा तहसील ब्यावर स्थित खसरा नंबर 1286/1 रकबा 5 बिस्वा पर अपीलांट का पक्का कमरा व चारदीवारी के अतिचार की रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 भू–राजस्व अधि0 के तहत बेदखली के आदेश पारित किये गये । अपीलांट द्वारा तहसीलदार, ब्यावर के समक्ष उक्त प्रकरण में लिखित जवाब पेश किया गया जिसमें कथन किया कि दो कमरे व चारदीवारी काफी पुराने बने हुए है जिसमें अपीलांट परिवार सहित निवास करता आया है, विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है, कुछ हिस्से में बाड़ा बनाकर जानवर आदि बांधता है । यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 22.11.2012 के द्वारा उक्त भूमि आबादी क्षैत्र के लिये ग्राम पंचायत को हस्तातंरण की अनुशंसा की गई है । यह भी कथन किया कि अपीलांट का मकान व बाड़ा ग्राम की आबादी के 200 मीटर की परिधि के अंदर है किन्तु हल्का पटवारी द्वारा गलत नाप के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किया जावे । उपरोक्त बिन्दु अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष भी अपील में उठाये गये थे एवं जिला कलक्टर के समक्ष अपील में यह भी कथन किया कि हल्का पटवारी एवं सरपंच ब्यावर खास की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2016 के अनुसार खसरा नंबर 1286/1 दांती सिवायचक भूमि है तथा खसरा नंबर 1286/2 रकबा 2 बीघा किस्म आबादी ग्राम पंचायत ब्यावर खास की आबादी में दर्ज है । रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि ग्राम शम्भूपुरा परिधिय ग्राम की मुख्य आबादी भूमि के खसरा नंबर 1308 के बाहरी कोने से 200 मीटर चारो तरफ की भूमि सिवायचक खाते से ग्राम पंचायत के खाते में हस्तातंरित की गई है । रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि खसरा नंबर 1308 के दक्षिणी कोने से सड़क के खसरा नंबर 1309 से लगता हुआ 200 मीटर नापने पर 1286 की सरहदी सीमा डूंगरखेड़ा तक चली जाती है तथा खसरा नंबर 1296 का अंतिम छोर खसरा नंबर 1308 से लगता हुआ है । नापने पर 200 मीटर कुएं के

खसरा नंबर 1285 की सीध में जाता है जबकि राजस्व नक्शे में तरमीम काफी पीछे की गई है जबकि खसरा नंबर 1308 से 1286 की तरफ 200 मीटर की परिधि में खसरा नंबर 1286 का रकबा 3–15–00 आता है । तहसीलदार, ब्यावर द्वारा अपीलांट के जवाब में किये गये उजर को नजरअदांज कर निर्णय पारित किया गया है जबकि तहसीलदार को अपीलांट के उजर/ऐतराज पर पुनः भूमि का नाप–चौप किया जाकर एवं हल्का पटवारी के बयान लेकर एवं अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित करना चाहिये था । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य होकर अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.7.2017 एवं तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार, ब्यावर को इन निर्देशों साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात के संबंध में अपीलांट को मौके पर आने हेतु सूचित कर नियमानुसार विवादित आराजी के स्थल का नाप–चोप समुचित तरीके से करते हुए उक्त नाप–चौप रिपोर्ट पर अपीलांट को सुनकर प्रकरण विधि अनुकूल तरीके से पुनः निस्तारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 13.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर